

फार्म घ
FORM D
मृत्यु व सेवानिवृत्ति अनुदान के लिए नामांकन
Nomination for Death-cum-Retirement Gratuity

यदि अधिकारी का परिवार नहीं है तथा एक से अधिक सदस्यों को नामित करना चाहता है ।
When the officer has a/no family and wishes to nominate more than one person.

मेरा परिवार है या नहीं है । मैं निम्नलिखित व्यक्तियों को नामित करता हूँ तथा निम्न उल्लेखानुसार सेवाकाल में मेरी मृत्यु हो जाने पर सरकार द्वारा स्वीकृत किए जाने वाले उपदान को प्राप्त करने का अधिकार देता हूँ तथा मृत्यु के बाद निम्न उल्लेखानुसार सेवा-निवृत्ति पर मुझे मिलने वाले उपदान जिसकी अदायगी मृत्यु के समय तक न हुए हो को प्राप्त करने का भी अधिकार देता हूँ ।

I, having a/no family hereby nominate the persons mentioned below and confer on them the right to receive, to the extent specified below, any gratuity (the payment of which may be authorised by the Central Government) in the event of my death while in service and the right to receive on my death, to the extent specified below any gratuity which having become admissible to me on retirement may remain unpaid at my death :-

नामित का नाम व पता Name & Address of nominee (s)	अधिकारी के साथ संबंध Relationship with the Officer	आयु Age	' प्रत्येक को दी जाने वाली उपदान की रकम अथवा हिस्सा * Amount of share are gratuity payable to each	वे आकस्मिक घटनाएं जिनसे नामांकन अमान्य हो जाएगा Contingencies on the happening on which the nomination shall become invalid.	यदि नामित व्यक्ति अधिकारी से पहले मर जाय तो उसके बाद यह अधिकार पाने वाले व्यक्ति, यदि कोई हो का नाम, पता और अधिकारी के साथ संबंध Name address relationship of the person, if any, to whom the right conferred on the nominee shall pass in the event of the nominee predeceasing the Officer.
1	2	3	4	5	6

नोट/छवजम :- (प) अधिकारी अन्तिम प्रविष्टि के बाद नीचे के रिक्त स्थानों में आर-पार इस प्रकार रेखा खींच ले ताकि हस्ताक्षर के बाद किसी का नाम न जोड़ा जाए ।

The Officer should draw lines across the blank space below the last entry to prevent the insertion of any name after he has signed.

दिनांक/Dated

साक्षी के हस्ताक्षर/Witness to signature

1

2

अधिकारी के हस्ताक्षर
Signature of Officer

' टीप/छवजम ' यह कॉलम इस प्रकार भरा जाना चाहिए कि उपदान की सारी रकम पूरी हो जाय ।

* This column should be filled in so as to cover the whole amount of the gratuity.
(अराजपत्रित अधिकारी के मामले में कार्यालय प्रमुख द्वारा भरा जाए)

(To be filled in by the Head of Office in the case of a non-gazetted officer)

नामांकन द्वारा कार्यालय प्रमुख का हस्ताक्षर
Nomination by Signature of Head of Officer

पदनाम/Designation दिनांक/Date

कार्यालय/Office..... पदनाम/Designation